

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 22(6)लेखा/प्रमुलसं/2020-21/3044-3220

दिनांक : 13.08.2020

बैठक सूचना

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्यों की तुलना में 31 जुलाई, 2020 तक हुई प्राप्तियों के सम्बन्ध में समीक्षात्मक बैठक दिनांक 24.08.2020 को प्रातः 11:00 बजे अरण्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल रूम नम्बर A-115 में आयोजित की जायेगी।

(1) बैठक में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति वांछनीय है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) राजस्थान, जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (NTFP) राजस्थान, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निवेदन है कि बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।

(2) निम्न अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे। मीटिंग लिंक एवं पिन न. ई-मेल जरिये भिजवाये जायेंगे। सूचना के साथ बैठक में भाग लेंगे।

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)/जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक परियोजना, कोटा।
4. उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर/सूरतगढ़/जयपुर/उदयपुर/स्टेज-II, बीकानेर।
5. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर/चिडियाघर जयपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/ बाघ परियोजना करौली/कोटा/मुकुन्दरा कोटा/बीकानेर/जोधपुर/चित्तौड़गढ़/आबू पर्वत/जैसलमेर/उदयपुर/चम्बल अभ्यारण सवाई माधोपुर/घना भरतपुर।
6. तेन्दूपत्ता योजना से सम्बन्धित उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़/झालावाड़/कोटा/बून्दी/बारां/सिरोही/पाली/उदयपुर/उदयपुर (उत्तर)/वन्यजीव राजसमंद/बांसवाड़ा/डुंगरपुर/चित्तौड़गढ़।
7. समस्त उप वन संरक्षक।

(i) कृपया निम्न निर्धारित प्रपत्रों में चाही गयी सूचना तथा गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में 31 जुलाई, 2019 के विवरण सहित बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।

प्रपत्र-1

क्र. स.	राजस्व उप मद	वर्ष 2020-21 के निर्धारित लक्ष्य	माह जुलाई, 2020 तक कुल प्राप्तियां	%	गत वर्ष 2019-20 के कोर्रेसपोण्डेंस पिरीयड (अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 में राजस्व प्राप्तियां)	राजस्व कमी के कारण विस्तृत विवरण सहित मदोनुसार	राजस्व में वृद्धि हेतु प्रस्ताव/सुझाव
1	2	3	4	5	6	7	8

(ii) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II 16 से 27 में निर्धारित प्रक्रिया एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के भाग-I के आईटम 11 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.6(1)वित्त/साविलेनि /2005 पार्ट-I जयपुर दिनांक 20.07.2020 द्वारा विभागीय अनुपयोगी/नाकारा सामान/ अधिशेष सामान/नकारा अनुपयोगी वाहन की सर्वे रिपोर्ट/निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रारूप में लेकर मीटिंग में उपस्थित हों।

प्रपत्र-A नाकारा सामान

क्र.स.	सामान का नाम/प्रकार	क्रय वर्ष	सामान की उपयोग अवधि	बुक वेल्यू	निरीक्षण कमेटी/नाकारा कमेटी/नीलामी कमेटी के गठन का विवरण	संभावित राजस्व	नीलामी करने की संभावित तिथि	नाकारा करने का कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र-B नाकारा वाहन

क्र.स.	वाहन का प्रकार	प्रचालन कि.मी./घण्टे	निरीक्षण कमेटी/नाकारा कमेटी/नीलामी कमेटी के गठन का विवरण	क्रय वर्ष	वाहन द्वारा पूर्ण किये गये वर्ष	बुक वेल्यू	नीलामी करने का संभावित समय	संभावित राजस्व	नाकारा करने का कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट :- नाकारा वाहन/अनुपयोगी सामानों की नीलामी हेतु चलाये जा रहे अभियान की मोनिटरिंग के लिए मुख्यालय वन विभाग में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके सम्पर्क सूत्र मो.न. 9829255136 कार्यालय न. 0141-2713927 एवं ई-मेल drviru1966@gmail.com है। किसी भी सूचना/मार्गदर्शन के लिए नोडल अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(जी विश्वनाथ रेड्डी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HoFF)

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ एफ 22(6)लेखा/प्रमुवसं/2020-21/3045-220, दिनांक : 13/08/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (NTFP) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक परियोजना, कोटा।
8. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/जयपुर।
9. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)/जयपुर।
11. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर/चिडियाघर जयपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/ बाघ परियोजना करौली/कोटा/मुकुन्दरा अभ्यारण कोटा/बीकानेर/जोधपुर /चित्तौड़गढ़/आबू पर्वत/जैसलमेर/उदयपुर/चम्बल अभ्यारण सवाई माधोपुर/घना भरतपुर।
12. उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर/सूरतगढ़/जयपुर/उदयपुर/स्टेज-II, बीकानेर।
13. तेन्दूपत्ता योजना से सम्बन्धित उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़/झालावाड़/कोटा/बून्दी/बारां/सिरोही/पाली/उदयपुर/उदयपुर (उत्तर)/वन्यजीव राजसमंद/बांसवाड़ा/डुंगरपुर/चित्तौड़गढ़।
14. समस्त उप वन संरक्षक।
15. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं (HoFF), राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु सम्पदा अधिकारी को पाबन्द करें।
16. उप वन संरक्षक, आई.टी. शाखा, अरण्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रेषित है।
17. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
18. सम्पदा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।

(Handwritten Signature)